भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
भारत सरकार
कार्यालयः टी-19, पहली और दुसरी मंजिल, ब्लाक- IV, धन्वन्तरि भवन, मार्ग न0-66, , पंजाबी बाग(पश्चिम), नई दिल्ली &110026
National Commission for Indian System of Medicine
Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 25221001
सचिव / Secretary: 25221006
कार्यालय /Office: 25221002/3
पंजीयन / Registration: 25221004
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) दिशानिर्देश

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 की धारा 2(घ), 7(8), 20(14) के अनुपालन में पंजीयन के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट पॉइंट सुनिश्चित करने हेतु सीएमई को शामिल किया जाना है। चिकित्सा विज्ञान गतिशील है और एक चिकित्सक के लिए सीखने का कोई अंत नहीं है। यह सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) की अवधारणा का सार है। सीएमई का मुख्य उद्देश्य नियमित रूप से ज्ञान और कौशल को उन्नत करना और एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 और आईएमसीसी अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत आईएसएम चिकित्सकों द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। **यह सीएमई दिशानिर्देश व्यक्तिगत सम्मेलनों और ऑनलाइन वेबिनार, ऐच्छिक और साथ ही उनके कार्यान्वयन दोनों के लिए एक समान, स्पष्ट और** सुव्यवस्थित **सीएमई मॉड्यूल के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता** है। यह सीएमई दिशानिर्देश आईएसएम चिकित्सकों की बेहतर गुणवत्ता सेवा के साथ-साथ ज्ञान के पर्याप्त उन्नयन को भी सुनिश्चित करेगा।

चिकित्सा व्यवसाय में सीएमई का तात्पर्य चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दक्षताओं के निरंतर विकास से है, जिसमें व्यावसायिकता, पारस्परिक, प्रबंधकीय और संचार कौशल शामिल हैं। सीएमई प्रशिक्षण बुनियादी चिकित्सा शिक्षा पूरी होने के बाद शुरू होता है। यह प्रत्येक चिकित्सक के व्यावसायिक जीवन में जारी रहता है। सीएमई शिक्षार्थी-केंद्रित, आत्म-मूल्यांकन-आधारित और समग्र प्रकृति का है। सीएमई आईएसएम के स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिकों के लिए सभी पहलुओं को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है, जो चिकित्सा ज्ञान और कौशल से परे हैं; इसमें प्रभावी संचार, उभरते साक्ष्य का आकलन, आचार पद्धति, स्वास्थ्य सेवा में कानून का अनुप्रयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र की समझ शामिल है।

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) क्रेडिट पॉइंट आचार एवं पंजीयन बोर्ड (एनसीआईएसएम) द्वारा आईएसएम चिकित्सकों को सीएमई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आवंटित अंकों को संदर्भित करते हैं, जिसमें सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशाला, व्यावहारिक प्रशिक्षण, समकक्ष समीक्षा पत्रिकाओं में प्रकाशन, पब मेड, इंडेक्स्ड इन स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, पंजीकृत पेटेंट, पाठ्यपुस्तक का प्रकाशन, फेलोशिप सहित लघु पाठ्यक्रम और आचार एवं पंजीयन बोर्ड (एनसीआईएसएम) द्वारा प्रमाणित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।

Rawat

R

www.gpclub.in

अपेक्षाएं

क्र. सं.	पंजीयन / नवीनीकरण	क्रेडिट पॉइंट
1.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 28.02.2025 को या उससे पहले होना है।**	सीएमई क्रेडिट पॉइंट से छूट
2.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 01.03.2025 से 28.02.2026 के बीच होना है।**	नवीनीकरण के उद्देश्य से न्यूनतम 10 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे
3.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 01.03.2026 से 28.02.2027 के बीच होना है।**	नवीनीकरण के उद्देश्य से न्यूनतम 20 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे
4.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 01.03.2027 से 28.02.2028 के बीच होना है।**	नवीनीकरण के उद्देश्य से न्यूनतम 30 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे
5.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 01.03.2028 से 28.02.2029 के बीच होना है।**	नवीनीकरण के उद्देश्य से न्यूनतम 40 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे
6.	**जिनका पंजीयन नवीनीकरण 01.03.2029 से 28.02.2030 के मध्य तथा 2030 के बाद होना है।**	नवीनीकरण के उद्देश्य से न्यूनतम 50 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त करने होंगे

अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के लिए सीएमई के निम्नलिखित नियम और तौर-तरीके : -

सीएमई का आयोजन कौन कर सकता है

- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग।
- आचार एवं पंजीयन बोर्ड से विधिवत अनुमोदन के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईएसएम परिषद।
- पंजीकृत, लेखापरीक्षित और 10 वर्ष से अधिक पुराने राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर के संगठन।
- उच्चतम एनसीआईएसएम रेटिंग वाली 25 वर्ष से अधिक पुरानी निजी संस्थान/सरकारी संस्थान।
- राज्य/केन्द्र सरकार के संगठन।
- संगठन के पास आईएसएम के सामान्य चिकित्सकों, विशेषज्ञों, चिकित्सा शिक्षकों आदि जैसे लक्षित समूह को कवर करने के लिए सीएमई कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए सभी अपेक्षित और प्रमाणित क्षमता होनी चाहिए तथा सीएमई के आयोजन में अनुभव होना चाहिए।

वर्तमान में भारत में सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संगठनों को राज्य आईएसएम परिषदों/आचार एवं पंजीयन बोर्ड (एनसीआईएसएम) से संपर्क करना चाहिए। ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य आईएसएम परिषद/बोर्ड सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने हेतु **अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर** विचार करेंगे और क्रेडिट पॉइंट प्रदान करेंगे:

www.gpclub.in

- स्नातकों के लिए बने सीएमई कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आचार एवं पंजीयन बोर्ड, विनियमन 2023 और प्रासंगिक विषयों से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर एक संक्षिप्त सत्र शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें हाल के प्रगति और उपचार के बदलते तौर-तरीकों के लिए पर्याप्त जानकारी, उपभोक्ता संरक्षण और चिकित्सा बीमा कानूनों के बारे में पर्याप्त ज्ञान, रिकॉर्ड कीपिंग, चिकित्सा ऑडिट और सामान्य रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहलों के बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए।
- संगठनों को प्रत्येक सीएमई गतिविधि की अनुसूची और प्रतिलिपि उपलब्ध करानी चाहिए।
- प्रत्येक सीएमई कार्यक्रम की प्रतिलिपि नवीनतम चिकित्सा प्रगति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और क्षेत्र/जोन/राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के माध्यम से चिकित्सकों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए।
- विषय विशेषज्ञ कार्मिकों को सीएमई कार्यक्रम के संचालन में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
- संगठनों को प्रतिभागियों के लक्षित समूह के लिए एडवांस प्रचार की व्यवस्था करनी चाहिए।
- संगठन को हैंडआउट प्रकाशित करने, प्रत्येक सीएमई का संक्षिप्त विवरण लाने और प्रतिभागियों की एक सूची तैयार करने का कार्य करना चाहिए तथा सीएमई कार्यक्रम के तुरंत बाद इसे आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भेजना चाहिए।
- फीडबैक आकलन कार्यक्रम की कार्य पद्धति पहले से ही बता दी जानी चाहिए।
- संगठन को प्रतिभागियों को लाभ प्रदर्शित करने के लिए सीएमई का आकलन करना चाहिए जिसमें ज्ञान को अद्यतन करना, प्रतिभागियों की क्षमता को उन्नत करना और रोगियों का हित शामिल है।

नोट: राज्य स्तर का अर्थ है कि केवल राज्य के चिकित्सक ही भाग ले सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर का अर्थ है कि 5 से अधिक/एकाधिक राज्य भाग ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अर्थ है कि 3 से अधिक देशों के विषय विशेषज्ञ व्यक्ति/प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।

<u>मेज़बान / आतिथ्य संस्थान की ज़िम्मेदारी:</u>

- जिस विषय में सीएमई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उसे मेजबान संस्थान/संगठन द्वारा कम से कम तीन माह पहले अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- सीएमई के लिए प्रस्ताव, संभावित तिथि और कार्यक्रम योजना के साथ, राज्य आईएसएम चिकित्सा परिषद् को कम से कम दो माह पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आचार एवं पंजीयन बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद, मेजबान संस्थान/संगठन, विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों और प्रतिभागियों दोनों को आवश्यक निमंत्रण भेजने के साथ-साथ राज्य में आईएसएम चिकित्सकों के बीच कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए उत्तरदायी है।
- यदि सीएमई रेजिडेंसियल है, तो मेजबान संस्थान/संगठन को प्रतिभागियों के आवास के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
- मेजबान संस्थान/संगठन को कार्यक्रम से काफी पहले सभी विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से सार-संक्षेप या पांडुलिपियां एकत्रित करनी होंगी।
- कार्यक्रम के बाद, प्रतिभागियों के आकलन सहित एक विस्तृत फीडबैक रिपोर्ट राज्य आईएसएम परिषद और आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भेजी जानी चाहिए।
- सीएमई कार्यक्रम के बाद, मेजबान संस्थान/संगठन को संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में हुए व्यय के वास्तविक बिल (जीएसटी सहित) आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करने होंगे।

www.gpclub.in

राज्य आईएसएम परिषदों का उत्तरदायित्व

- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अनुमोदन हेतु सीएमई प्रस्ताव को अग्रेषित करना ।
- सीएमई कार्यक्रम को अंतिम रूप देने, समस्या समाधान आदि के लिए आतिथ्य संस्थान/संगठन और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आचार एवं पंजीयन बोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करना।
- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेजना। आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से एक पर्यविक्षक को कार्यक्रम में उपस्थित होना होगा।
- व्यापक प्रचार और अधिकतम कार्यक्रम भागीदारी के लिए ठीक समय पर घोषणाएँ भेजना।
- सीएमई की मेजबानी करने वाले संगठन से कार्यक्रम की कार्यवाही, विस्तृत कार्यक्रम रिपोर्ट और मूल्यांकन विश्लेषण एकत्र करना।
- उपस्थित आईएसएम चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों को भागीदारी के प्रमाण पत्र जारी करने की निगरानी करना।
- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के वेब पोर्टल का उपयोग किया जाना है।
- आईएसएम परिषद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आंकड़ों का एक रजिस्टर भी बनाए रखेगी, जिसमें आईएसएम चिकित्सकों के नाम और उनके अर्जित क्रेडिट पॉइंट सूचीबद्ध होंगे।
- सीएमई कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों/संगठनों को स्वीकृति देने, पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा प्रतिवर्ष भाग लिए गए सीएमई कार्यक्रमों का रिकार्ड रखने, तथा अन्य राज्य चिकित्सा परिषदों/आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के साथ समन्वय करने में शामिल बड़े पैमाने पर कार्य को संभालने के लिए, राज्य आईएसएम परिषदों के भीतर एक अलग अनुभाग बनाया जाना चाहिए।
- सीएमई कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक विदेशी नागरिकों या एनआरआई को राज्य/देश में वर्तमान में लागू आईएसएम चिकित्सकों के पंजीयन को शासित करने वाले नियमों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक होना चाहिए।

वित्तीय सहायता

- चिकित्सकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आचार एवं पंजीयन बोर्ड को निर्धारित सीएमई शुल्क का भुगतान करना होगा। राज्य आईएसएम परिषद के साथ समन्वय करने के बाद, आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग संबंधित राज्य आईएसएम परिषद/संगठन/संस्थान को सीएमई आयोजित करने के लिए धन आवंटित करेगा।
- बोर्ड आईएसएम परिषदों और संबंधित संगठन के परामर्श से, किसी विशेष सीएमई या प्रस्तावित व्यय के लिए आयोजक को एकत्रित निधि का 50% से 75% तक अग्रिम रूप से आवंटित कर सकता है।

- संगठन को शेष भुगतान सम्पूर्ण कार्यक्रम के आयोजन पर हुए व्यय के लिए जीएसटी सहित वास्तविक बिल प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।
- **इसके अतिरिक्त, राज्य आईएसएम परिषद भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।**

नोटः भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के लाभ के लिए प्रासंगिकता, गुणवत्ता और प्रस्तावित परिणाम के आधार पर प्रत्येक सीएमई की शुल्क निर्धारित करना भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आचार एवं पंजीयन बोर्ड का विवेकाधिकार है।

<u>सीएमई अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश</u>

1. प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट पॉइंट भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आचार एवं पंजीयन बोर्ड के पूर्ण विवेक पर निर्भर होंगे तथा यह विषय-वस्तु, वक्ता की स्थिति तथा सी.एम.ई./सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए शोध-पत्रों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

2. सीएमई के संचालन के इच्छुक किसी भी व्यावसायिक संगठन, निकाय या संस्थान को निर्धारित आवेदन पत्र का उपयोग करके राज्य आईएसएम परिषद या आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को आवेदन करना चाहिए। आवेदन के साथ सीएमई/सम्मेलन का पूरा कार्यक्रम, वक्ताओं के नाम, पदनाम और देश, साथ ही प्रत्येक भाषण का विषय और प्रस्तावित लागू शुल्क भी होना चाहिए। (निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया गया)

3. सीएमई आयोजित करने का संकल्प / इरादा रखने वाले संगठन, निकाय या संस्थान को राज्य आईएसएम परिषद/ आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत आवेदन में, क्रेडिट पॉइंट प्रदान करने के लिए प्रत्येक वक्ता को उनके विषय के साथ आवंटित अवधि, निर्दिष्ट करना चाहिए।

4. संगठन के क्रेडिंशियल्स और कार्यक्रम के विवरण की पुष्टि करने के बाद, राज्य आईएसएम परिषद को प्रस्ताव को आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भेजना चाहिए, साथ में एक संस्तुति या अस्वीकृति रिपोर्ट भी होनी चाहिए। राज्य आईएसएम परिषद, एसोसिएशन या संगठन उन प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिन्होंने सीएमई में भाग लिया है। सीएमई/सम्मेलन पंजीयन के दौरान पहले दिन प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए जाने चाहिए। उन्हें रजिस्ट्रार, सक्षम प्राधिकारी और आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के बाद ही वितरित या प्रदान किया जाना चाहिए। भाग लेने वाले आईएसएम चिकित्सक को प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने का विकल्प भी दिया जा सकता है।

5. एसोसिएशन/संगठन प्रतिनिधियों की फीडबैक तथा सीएमई/सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची भेजने के लिए बाध्य होंगे।

6. सी.एम.ई., कार्यशाला या सम्मेलन के समापन से पहले कोई सी.एम.ई. उपस्थिति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

7. आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक और राज्य आईएसएम परिषद द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षकों के रूप में सीएमई में

www.gpclub.in

भाग लेंगे। पर्यवेक्षकों के अनुमोदन के बाद, सीएमई-सिक्योर्ड क्रेडिट पॉइंट चिकित्सक के खाते में जमा किए जाएंगे। चिकित्सक पोर्टल के माध्यम से अपने सीएमई क्रेडिट पॉइंट देख सकते हैं।

8. यदि राज्य आईएसएम परिषद/संगठन द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग – आचार एवं पंजीयन बोर्ड, विनियमन 2023 के अनाचार के अंतर्गत पैनल्टी/दंड के अधीन होगा।

<u>सीएमई/सम्मेलन के लिए क्रेडिट पॉइंट जारी करने हेतु दिशानिर्देश</u>

चिकित्सा पाठ्यपुस्तक/पाठ्यपुस्तक के अध्याय/अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अनुक्रमित चिकित्सा पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सीएमई/कार्यशालाओं में भागीदारी के लिए क्रेडिट घंटे जारी करने के लिए दिशानिर्देश।

क्र.सं.	गतिविधि	क्रेडिट पॉइंट
1.	अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी संकाय द्वारा 60 मिनट की अवधि का अतिथि व्याख्यान	05 पॉइंट
2.	न्यूनतम 3 घंटे की कार्य अवधि का सीएमई/कार्यशाला/राज्य/राष्ट्रीय सम्मेलन	05 पॉइंट
3.	न्यूनतम 6 घंटे की कार्य अवधि का सीएमई/कार्यशाला/राज्य/राष्ट्रीय सम्मेलन।	10 पॉइंट
4.	न्यूनतम 3 घंटे कार्य अवधि का अंतर्राष्ट्रीय सीएमई/कार्यशाला/सम्मेलन	10 पॉइंट
5.	न्यूनतम 6 घंटों की कार्य अवधि का अंतर्राष्ट्रीय सीएमई/कार्यशाला/सम्मेलन	20 पॉइंट
6.	न्यूनतम 3 कार्य घंटों से लेकर 6 कार्य घंटों तक के ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा मॉड्यूल का अध्ययन पूरा करने के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र।	05 पॉइंट
7.	6 कार्य घंटों और उससे अधिक के ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र	10 पॉइंट
8.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अतिथि वक्ता/विषय विशेषज्ञ व्यक्ति	10 पॉइंट
9.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोधपत्र प्रस्तुति (मौखिक/पोस्टर)।	10 पॉइंट
10.	आधे दिन की सीएमई/कार्यशाला/सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी	05 पॉइंट

11.	पूर्ण दिवसीय सीएमई/कार्यशाला/सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी	10 पॉइंट
12.	पंजीकृत पेटेंट	50 पॉइंट
13.	एचपीआर प्रमाणपत्र	05 पॉइंट
14.	ऐच्छिक विषय	10 पॉइंट
15.	एनसीआईएसएम स्केल के अनुसार प्रकाशित चिकित्सा पाठ्य पुस्तक के लेखक/संपादक	50 पॉइंट
16.	एक प्रकाशित चिकित्सा पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय के लेखक।	10 पॉइंट

क्र.सं.	**अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रमित जर्नल में प्रकाशित शोधपत्र**	**क्रेडिट पॉइंट**
1.	मूल लेख	10 पॉइंट
2.	केस रिपोर्ट	10 पॉइंट

क्र.सं.	**राष्ट्रीय अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपत्र**	**क्रेडिट पॉइंट**
1	मूल लेख	10 पॉइंट
2	केस रिपोर्ट	10 पॉइंट

नोटः यहां उल्लिखित क्रेडिट पॉइंट अनंतिम रूप से प्रस्तावित हैं, इसके अतिरिक्त आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग का कार्य वास्तविक समय के आधार पर सीएमई प्रस्ताव की जांच के दौरान प्रासंगिकता, गुणवत्ता परिणाम, कौशल उन्मुखता और विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों की विश्वसनीयता जैसे बिंदुओं के आधार पर क्रेडिट पॉइंट निर्धारित करना है।

www.gpclub.in

- आईएसएम चिकित्सक जो सीएमई, कार्यशालाओं या सम्मेलनों में भाग लेने में असमर्थ हैं, उन्हें ऐच्छिक विषयों, जो ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा मॉड्यूल हैं, के माध्यम से क्रेडिट पॉइंट अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सीएमई/कार्यशाला/सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है।
- आईएसएम चिकित्सक को सीएमई में भाग लेना चाहिए और अपने पंजीयन के नवीनीकरण के समय क्रेडिट पॉइंट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को सीएमई क्रेडिट पॉइंट से छूट दी गई है।

<u>ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव)</u>

- सभी वैकल्पिक मॉड्यूल, अपने संबंधित दिशानिर्देशों के साथ, आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पोर्टल पर समय-समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आईएसएम चिकित्सक को प्रतिवर्ष एक ऐच्छिक विषय का चयन करना होता है, जिसके लिए 10 क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं।

<u>सीएमई क्रेडिट पॉइंट के लिए ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव)</u>

बदलते समय के साथ शिक्षण का तरीका बदल रहा है, सभी सुविधा, लचीलेपन और नई तकनीकों का लाभ पाने के कारण ऑनलाइन शिक्षण के तरीके को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लाभों को ध्यान में रखते हुए आईएसएम चिकित्सकों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि चिकित्सकों को नैदानिक/शल्य चिकित्सा/उपचार कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके। उन्हें उनकी रुचि के अनुसार कैरियर उन्नति के लिए विभिन्न अंतःविषयक ज्ञान और कौशल से अवगत और उन्मुख किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे सीएमई क्रेडिट पॉइंट भी प्राप्त कर सकते हैं।

- ऐच्छिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जाएंगे।
- **पाठ्यक्रम-संरचना:** पाठ्यक्रम विषय आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में उपचार के तौर-तरीकों, शोध, तकनीकी उन्नति, नैदानिक कौशल, उपचार कौशल, अद्यतन नियम/विनियम/अधिनियमों और हाल की पहलों में होने वाली उन्नति को प्रमुखता दी जाएगी।
- प्रत्येक ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव) 15 घंटे की अवधि का होगा और तीन मॉड्यूल में विभाजित होगा, प्रत्येक मॉड्यूल 5 घंटे, 9 घंटे और 1 घंटे का होगा।

प्रत्येक ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव): 5 घंटे, 9 घंटे और 1 घंटे के तीन मॉड्यूल।				
क्र.सं.	घटक	अवधि (घण्टे में)		क्रेडिट
1.	वीडियो/ऑडियो द्वारा शिक्षण		05 घंटे	कार्यक्रम में भाग लेने पर 10 क्रेडिट पॉइंट
2.	वीडियो प्रदर्शन/अभ्यास/निर्देशित शिक्षण/असाइनमेंट		09 घंटे	
3.	आकलन		01घंटे	

www.gpclub.in

- **पाठ्यक्रम अवधि:** 12 माह, (01 वर्ष, कार्यक्रम के लिए पंजीयन की तिथि से 12 माह के भीतर ऐच्छिक विषय पूरा करना होगा।)
- ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव) में उपस्थिति और आकलन के आधार पर प्रशिक्षुओं का आकलन किया जाएगा, आकलन के आधार पर क्रेडिट पॉइंट आवंटित किए जाएंगे। 15 घंटे का ऐच्छिक मॉड्यूल कार्यक्रम पूरा करके चिकित्सक अधिकतम 10 क्रेडिट पॉइंट अर्जित कर सकते हैं।
- प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में आकलन किया जाएगा।
- वैकल्पिक विषयों की सूची एएसयूएस चिकित्सकों सहित सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
- चिकित्सक अपनी पसंद के अनुसार निर्दिष्ट सूची में से एक बार में केवल एक ही ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव) चुन सकते हैं।
- लगभग 12 माह के लिए एक अनिवार्य ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त, चिकित्सकों को अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त ऐच्छिक विषय चुनने की स्वतंत्रता है, ताकि उन्हें उन्नत कौशल और ज्ञान प्राप्त हो सके। परंतु क्रेडिट हेतु 12 माह के लिए केवल एक कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम को-ऑर्डिनेटर से तात्पर्य उस संस्थान/संगठन/विशेषज्ञ एएसयूएस फिजिशियन/सर्जन से है जिसने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इन्हें ऐच्छिक (इलेक्टिव) मॉड्यूल और प्रोग्राम विकसित करने और उसको प्रदान करने का कार्य दिया जाता है।
- ऑनलाइन ऐच्छिक (इलेक्टिव) कार्यक्रम, निर्धारित पाठ्यक्रम समन्वयक के माध्यम से आचार एवं पंजीयन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक एएसयूएस चिकित्सकों को ऑनलाइन शिक्षण ऐच्छिक विषयों की सूची अधिसूचित करेगा ।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रम समन्वयक के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों।
- पाठ्यक्रम समन्वयक/संस्थान को विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देने तथा प्रदर्शन सत्र/अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुगम बनाने/संचालन करने के लिए एक सुविधाप्रदाता को नियुक्त करना होगा।
- पाठ्यक्रम समन्वयक/संस्थान उन एएसयूएस चिकित्सकों के आकलन के लिए उत्तरदायी होंगे जिन्होंने कार्यक्रम के लिए पंजीयन किया है। आकलन आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के साथ चर्चा में पूर्व-निर्धारित मानदंडों और मापदंडों पर आधारित होना चाहिए।
- आकलन के बाद, आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा घोषित आकलन योजना के अनुसार क्रेडिट आवंटित करेगा।

www.gpclub.in

- प्रत्येक ऐच्छिक विषय (इलेक्टिव) के लिए क्रेडिट का उल्लेख करते हुए एक अलग ऑनलाइन प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा, ऐच्छिक (इलेक्टिव) कार्यक्रम के सफल समापन के संबंध में प्रमाण पत्र पर अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड और समन्वयक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम पूरा होने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, चिकित्सक के क्रेडिट बैंक खाते में 10 क्रेडिट पॉइंट आवंटित किए जाएंगे। कोई भी प्राधिकरण/संस्थान/संगठन आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से अर्जित ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के लिए सीएमई क्रेडिट पॉइंट देने से इनकार नहीं करेगा ।
- बाद में, यदि वह चाहे तो किसी अन्य ऑनलाइन ऐच्छिक (इलेक्टिव) कार्यक्रम में जा सकता है।
- आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, एएसयूएस चिकित्सकों के लिए ऐच्छिक (इलेक्टिव) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए स्थायी समिति का गठन करेगा।

पाठ्यक्रम आईडी	विषय	ऐच्छिक (इलेक्टिव) पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम समन्वयक/संस्थान	अवधि	नामांकन प्रारंभ तिथि	नामांकन समाप्ति तिथि	यूजी /पी जी	लॉग इन

संभावित समयसीमा – 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026	
अवधि	12 माह (01वर्ष)
पाठ्यक्रम का प्रारंभ	1 मार्च 2025
पाठ्यक्रम का समापन	28 फरवरी 2026
पाठ्यक्रम में नामांकन शुरू	1 जनवरी 2025
पाठ्यक्रम में नामांकन बंद	28 फरवरी 2025

प्रो. (वैद्य) राकेश शर्मा,
अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड,
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली

www.gpclub.in